कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-283/2023 दिनांक-05.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेंहनगर

छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादिनी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर शिकायत कि मेरी पुत्री उम्र 16 वर्ष को दिनांक 01.09.23 को शाम 7 बजे किताब लेने दुकान गयी थी रास्ते में चन्द्रजीत यादव पुत्र लालविहारी यादव निवासी गद्दीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा हाथ पकड़ कर छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 383/23 धारा 354(क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 05.09.23 को उ0नि0 ओमप्रकाश नरायण सिंह मय हमराह द्वारा मु.अ.सं. 383/23 धारा 354(क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्द्रजीत यादव पुत्र लालबिहारी यादव निवासी गद्दीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को अहियायी बाजार से समय 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-चन्द्रजीत यादव पुत्र लालविहारी यादव निवासी गद्दीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.सं. 383/23 धारा 354(क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 ओमप्रकाश नरायण सिंह मय हमराह थाना- मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

थाना तहबरपुर

हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः- वादी मुकदमा बालकुमार पुत्र हंसराज यादव ग्राम सिकन्दरपुर थाना तबरपुर जिला आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि विपक्षियों द्वारा अपने हाथ में लिये धारदार हथियार टांगी, गड़ासा से दिनांक 30.08.2023 को वादी मुकदमा के चाचा, पिता व चाची का लड़की को जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर हमला किया गया जिससे वादी के चाचा का सिर में चोट लगने के कारण बेहोश हो गये तथा गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 31.08.2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0 169/2023 धारा 323,307,452,324,308,504,506 भादवि बनाम 1.लालसा प्रसाद यादव पुत्र भल्लर यादव, 2.राजकुमार यादव, 3.लक्ष्मी प्रसाद पुत्र लालसा प्रसाद यादव, 4.सरोज पत्नी राजकुमार यादव निवासीगण सिकन्दरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ की विवेचना उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल चौकी प्रभारी सेमरी, थाना तहबरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 05.09.2023 को उ0नि0 श्री उमाकान्त शुक्ल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लालसा प्रसाद यादव पुत्र भल्लर यादव ग्राम सिकन्दरपुर, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त लालसा प्रसाद यादव उपरोक्त की निशादेही पर मुकदमें से सम्बन्धित घटना में प्रयुक्त एक फावड़े का बेट व चार टुकड़ा लाठी का व 03 बास की फट्टी बरामद की गयी। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा हैं।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मेरा, मेरे भाई विजय बहादुर यादव से रास्ते को लेकर विवाद हैं। विजय बहादुर यादव हम लोगो को आने जाने के लिए रास्ता नही दे रहे हैं तथा बार बार परेशान कर रहे हैं। इसी को लेकर दिनांक 30.08.2023 को समय लगभग 07.30 बजे आपस में विवाद हो गया जिसमें मैं तथा मेरे परिवार के लोगो द्वारा विजय बहादुर यादव, हंशराज यादव व प्रियंका को लाठी डण्डा व कुल्हाड़ी से मार पीट कर घायल कर दिये थे।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 169/2023 धारा 323,307,452,324,308,504,506 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-लालसा प्रसाद यादव पुत्र भल्लर यादव ग्राम सिकन्दरपुर, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री उमाकान्त शुक्ल मय हमराह थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर

रंगदारी मांगने का आरोपी अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 03.09.23 को श्री उमाशंकर राय पुत्र श्री दशरथ राय ग्रा0 देवडा दामोदरपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ के प्रा0पत्र पर विपक्षी आकाश राय द्वारा वादी के लडके प्रभात रंजन राय से रंगदारी दिखाकर अपशब्द शब्दो का प्रयोग करते हुए पूर्व मे 5 हजार रु0 ले लेना व पुनः 500000 रु0 (पाँच लाख रु0) की रंगदारी से मांगना व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 245/2023 धारा 386/504/506 बनाम आकाश राय पुत्र अनिल राय निवासी खरगपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 04.9.23 को उ0नि0 ज्ञानप्रकाश तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश राय पुत्र अनिल राय निवासी खरगपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को समय 18.00 बजे दिनांक 4.9.23 को स्थान सेहदा पूर्वांचल एक्स-प्रेस वे से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आकाश राय पुत्र अनिल राय निवासी खरगपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 245/2023 धारा 386/504/506 भादवि तथा बढोत्तरी धारा 7/25 आर्म्स एक्ट।

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त।

बरामदगी-

1-एक देशी पिस्टल .9 MM व एक जिन्दा कारतूस व 5000 रूपया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ज्ञानप्रकाश तिवारी मय हमराह थाना कन्धरापुर आजमगढ।
2. उ0नि0 शंकर कुमार यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ

थाना – अहरौला

छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनाकं 03.09.2023 को वादिनी 15 वर्ष थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर हालमुकाम थाना अहरौला जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी प्रिन्स पुत्र उमेश द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादि/पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व जबरदस्ती की गयी, के सम्बंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 290/23 धारा 452/354(ख) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. प्रिंस पुत्र उमेश निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनाँक 04.09.2023 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रिंस कुमार पुत्र उमेश कुमार सा0 लेदौरा उम्र 24 वर्ष थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को बसही बाजार से समय 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0 290/2023 धारा 452/354ख भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-प्रिंस कुमार पुत्र उमेश कुमार सा0 लेदौरा उम्र 24 वर्ष थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, का0 संजीव कुमार यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़